पटना में दिनांक–03 सितम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	पथ निर्माण विभाग	
1.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०–XVI) के तहत् खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया– सोनमनखी घाट पथ के 7 वें कि०मी० में बागमती नदी के सोनमनखी घाट पर भू–अधिग्रहण, पहुँच पथ निर्माण कार्य, पुल बचाव कार्य एवं गाईड बाँध निर्माण कार्य सहित 2–लेन के 18x24.75 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 4628.25 लाख (छियालीस करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
2.	भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर निर्माणाधीन पथ में नाबार्ड ऋण योजना–आर०आई०डी०एफ०–XIX के तहत् सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज एवं पूर्वी चम्पारण जिलों में पड़ने वाले पथांशों में क्रमशः सत्रह (17), तीन (03), सात (07) एवं ईक्कतीस (31) अर्थात कुल अनठावन (58) लघु/वृहद् पुल–पुलियों का, संलग्न परिशिष्ट–(A) के अनुसार उनके पहुँच पथों तथा सन्निहित सुरक्षा कार्यो इत्यादि सहित, निर्माण कार्य कुल 39309.93 लाख (तीन अरब तिरानबे करोड़ नौ लाख तिरानबे हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
3.	कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बिहार राज्य स्वामित्व वाले पथों पर कुल 11 स्थानों पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क उपरी पुलों एवं पहूँच पथों के निर्माण कार्य करने हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 796.9650 करोड़ (सात सौ छियानबे करोड़ छियानबे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर (यथा संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार) वहन राज्य योजना मद से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	विधि विभाग	
5.	विधि विभाग में गठित "बिहार स्टेट लिटीगेशन सेल" के लिए विधि पदाधिकारी का एक पद संविदा पर नियोजन के लिए सृजन के संबंध में।	5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 2012–13 में स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना, कुल 6101.49 लाख (एकसठ करोड़ एक लाख उन्चास हजार) रूपये के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में अनावर्ती मद में स्वीकृत योजना 5000.00 लाख (पचास करोड़) रूपये के विरूद्ध प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश कुल 1875.00 लाख (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये एवं इसके विरूद्ध 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 625.00 लाख (छः करोड़ पचीस लाख) रूपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों (1992–96) में उपलब्ध कराई गई राशि के सामंजन के कारण कुल 276.34 लाख (दो करोड़ छिहत्तर लाख चौंतीस हजार) रूपये का राज्य योजना से स्वीकृति एवं विमुक्ति। इस प्रकार विमुक्त कुल 2500.00 लाख (पचीस करोड़) रूपये के विरूद्ध केन्द्रांश के रूप में 1598.66 लाख (पन्द्रह करोड़ अन्ठान्बे लाख छियासठ हजार) रूपये एवं राज्यांश के रूप में कुल 901.34 लाख (नौ करोड़ एक लाख चौंतीस हजार) रूपये के निकासी की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7. राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में "शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 1991" के अनुसार नियुक्त अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को स्वीकृत प्रशिक्षित वेतनमान में संशोधन की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजना व्यय को पूरा करने हेतु योजना मद से ₹ 66.17 लाख (छियासठ लाख सतरह हजार) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को संयुक्त सचिव/अपर सचिव एवं समकक्ष पद के वेतनमान में नियमित प्रोन्नति देने हेतु अधिसंख्य (Supernumerary) पद का सृजन एवं भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। — 9. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ाकर 1800 करोड़ रूपये करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

11. बिहार राज्य हज समिति को हज–2012 के लिए 21 (इक्कीस) खादिमुल हुज्जाज भेजने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 33,65,000/–रूपये (तैंतीस लाख पैसठ हजार रूपये) चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति करने के संबंध में।	11. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी)

12. राज्य के भवन विहीन थानों, ओ०पी० एवं पुलिस लाईन के भवन निर्माण, बैरक, पुलिस आवासीय भवनों आदि के निर्माण हेतु लागत कुल राशि ₹ 42957.784 लाख (चार सौ उन्नतीस करोड़ संतावन लाख अठहत्तर हजार चार सौ रू०) की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वीकृत योजना उद्व्यय तथा बजट के अन्तर्गत व्यय सीमित रखते हुए योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।	12. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

13. भवन निर्माण विभाग में जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन के कार्य जो पूर्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराए जाते थे, को भवन निर्माण विभाग के स्तर से कराने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडलों के कुछ कार्य अवर प्रमंडलों एवं अधीनस्थ पदों का भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरण/समायोजन की स्वीकृति।	13. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

14. वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 784.4975 करोड़ रूपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) के अधीन धान की मुख्य फसल तथा मक्का के लिए पूर्व से स्वीकृत 3 सिंचाई के अतिरिक्त 1 और सिंचाई, कुल 4 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति।	14. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. अररिया जिलान्तर्गत अंचल–कुर्साकाँटा के मौजा–कुर्साकाँटा, थाना नं०–72/2, खाता नं०–83, खेसरा नं०–1187, रकबा–0.30 एकड़ (तीस डिसमिल) एवं खाता सं०–4 खेसरा सं०–1188, रकबा–30 डिसमिल, कुल रकबा–60 डिसमिल परती भूमि जो प्रखंड परिसर कुर्साकाँटा के अन्तर्गत है, को 36,00,000/–(छत्तीस लाख) रूपये सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत, आवासीय लगान के 25 गुणा अर्थात 18,00,000/– (अठारह लाख) रूपये पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 54,00,000/–(चौवन लाख) रूपये के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. पटना जिला के अंचल–पटना सदर, मौजा–दीघा दियारा, थाना सं०–141 में कुल रकबा–24.957 एकड़ असर्वेक्षित परती सरकारी भूमि वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. पटना जिला के अंचल–बिहटा, थाना सं०–47, मौजा–बिहटा, खाता सं०–312, खेसरा सं०–100, रकबा–0.50 एकड़ गैर मजरूआ आम पईन भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रूपये 1,00,000.00 (एक लाख) प्रति डिसमिल की दर से 0.50 एकड़ की सलामी रूपये 50,00,000.00 (पचास लाख) एवं वार्षिक व्यावसायिक लगान (सलामी का पाँच प्रतिशत) 50,00,000.00 x 5/100 = 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) रूपये अलावे सेस के भुगतान पर नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज़ पर बन्दोबस्त करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

18. मधुबनी जिलान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी में प्रस्तावित भवनादि के निर्माण कार्यो का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 2494.00 लाख (चौबीस करोड़ चौरानवे लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 3416.39 लाख (चौंतीस करोड़ सोलह लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — 18 स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत कुल 64682.80 लाख/– (छः अरब छियालीस करोड़ बेरासी लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र रूपये अनुदान की राशि के व्यय की स्वीकृति। — 19 स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एजुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन हेतु निर्गत संकल्प संख्या– 12/प्रशिक्षण–89/2007–204 दिनांक–19.06.2008 की कंडिका–10 में संशोधन। — 20 स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332 + 199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 40,00,00,000/–(चालीस करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं तत्काल छह माह के लिए ₹ 20,00,00,000/–(बीस करोड़) रूपये मात्र की विमुक्ति पर स्वीकृति के संबंध में। — 21 स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

22. वर्त्तमान बाढ़ 2013 के मद्देनजर नगद अनुदान वितरण हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 40,00,00,000 (चालीस करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 22 स्वीकृत।